

7

**SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE
CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898**

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण क्रमांक 18../2018

Name and address of the complain म0प्र0 शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला प्रशासन
भिण्ड म0प्र0

name, parentage, caste and address of accused

- ✓1. रामदास पुत्र रामचरन कुशवाह उम्र 28 साल निवासी नीरपुरा थाना मौं जिला भिण्ड
- ✓2. बुद्धे पुत्र रामप्रसाद कुशवाह उम्र 40 निवासी झांकरी थाना मौं जिला भिण्ड
- ✓3. अशोक पुत्र भूरेलाल जाटव उम्र 25 साल निवासी झांकरी थाना मौं जिला भिण्ड
- ✓4. भीकाराम पुत्र शिवलाल जाटव उम्र 65 निवासी झांकरी थाना मौं जिला भिण्ड

The offence complained of, and date of its alleged commission

आपने दिनांक 16/12/17 को 17:17 बजे जमादारों के घर के पीछे ग्राम झांकरी में ताश के पत्तों से रूपयों पैसों की हारजीत का दांव लगाकर जुआ खेला।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 13 सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करो अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों।

The plea of the accused and his examination [if any]--

आरोपी का अभिवाक--

अशोक अपराध स्वीकार नहीं करता है।
20/12/17

प्रतिष्ठा अवस्थी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला- भिण्ड (म.प्र.)

प्रतिष्ठा अवस्थी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला- भिण्ड (म.प्र.)

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of which the offence has been committed

// निर्णय //

(आज दिनांक 25/1/18 को घोषित किया गया)

1. अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
2. अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त धरा 13 सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम के अंतर्गत रुपये 100-100/-रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को 05-05 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
4. प्रकरण में जप्तशुदा एक ताश की गडडी नष्ट हो एवं रुपये 3650/-रुपये राजसात किये जाते हैं अपील अवधि पश्चात विधिवत कोषालय में जमा हो।

स्थान- गोहद

दिनांक- 25/1/18

निर्णय आज दिनांकित एवं

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

25/1/18

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

जेएमएफसी गोहद

न्यायिक मजिस्ट्रेट गोहद जिला- भिण्ड (म.प.)

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

25/1/18

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

जेएमएफसी गोहद

गोहद जिला- भिण्ड (म.प.)